

धारा 6 : कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों को उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार देना

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—
 - (क) जहां कोई उचित अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन केन्द्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा;
 - (ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर किन्हीं कार्यवाहियों को प्रारंभ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी।
 - (3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हो, के लिये कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।
-

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
